बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, बेनीपट्टी

E-Mail ID - wkc.benipatti@gmail.com

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या – 10/2023–24

1.	विज्ञापन दाता का पदनाम एवं पता	कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, बेनीपट्टी।
2.	निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि	दिनांक– 08–02–2024
3.	परिमाण विपत्र बिक्री करने की तिथि एवं समय	दिनांक– 16–02–2024 से 19–02–2024 तक।
4.	निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय	दिनांक– 20–02–2024 अपराहन् 3.00 बजे तक।
5.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक– 20–02–2024 अपराहन् 3.30 बजे।
6.	परिमाण विपत्र बिक्री करने का स्थान	1 कार्यपालक अभियन्ता,का कार्यालय पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, बेनीपट्टी। 2 अधीक्षण अभियन्ता, का कार्यालय पश्चिमी कोशी नहर अंचल, मधुबनी। 3 कार्यपालक अभियन्ता, का कार्यालय आयोजन एवं मोनेटरींग प्रमण्डल, दरभंगा।
7.	परिमाण विपत्र प्राप्ति का स्थान	क्रमांक 6 पर अंकित सभी कार्यालय।
8.	वित्तीय बीड खोलने की तिथि	सक्षम पदाधिकारी के आदेशानुसार स्थान, तिथि एवं समय की सूचना बाद में दी जाएगी।

9. कार्य का विवरण–

ग्रुप संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू० में)	अग्रधन की राशि (रू० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय)	कार्य समाप्ति की तिथि
1	**Repair work of Boudanry Wall and Residintial Quarters No. ET 13, ET 14, ET 27 & ET 28 under Western Kosi Canal Division Benipatti.**	10.00	20000.00	1250.00	15.03.2024

विशेष जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

08/2/2024
कार्यपालक अभियन्ता
पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, बेनीपट्टी
मो0: 7463889761

नियम एवं शर्तें

1 कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी हो सकती है जिसके अनुसार निविदा दस्तावेज के साथ अग्रधन की राशि के रूप में प्राक्कलित राशि का 02 प्रतिशत तथा एकरारनामा के समय 03 प्रतिशत (कुल पाँच प्रतिशत),जो अगले 100.00 रूपये के गुणक में होगा, जमा करना अनिवार्य होगा।

2 निविदा के साथ अग्रधन के रूप में विभाग द्वारा निबंधन पत्र में अंकित नाम से निर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवाँ निर्गम), डाकघर सावधि जमा 1/2/3 वर्षीय पासबुक/ राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत सावधि जमा पासबुक जो न्यूनतम 6 माह के लिए मान्य हो एवं कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, बेनीपट्टी के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित होना चाहिए, ही मान्य होगा।

3 अधोहस्ताक्षरी/विभाग को बिना कारण बताए निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

4 निविदा दस्तावेज, निविदा प्रपत्र में वर्णित मूल्य के भारतीय स्टेट बैंक का बैंक ड्राफ्ट, जो कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, बेनीपट्टी के पदनाम से निर्गत एवं मधुबनी शाखा में भुगतेय हो अथवा नगद राशि के रूप में जमा करने पर ही निर्गत किया जाएगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य लौटाया नहीं जाएगा।

5 निविदा दस्तावेज के सभी पृष्ठों पर संवेदक को तिथियुक्त हस्ताक्षर करना अनिवार्य है तथा सभी मुहरबन्द लिफाफे पर ग्रुप संख्या एवं अपना पूरा पता मोबाईल संख्या एवं E- MAIL सहित अंकित करना अनिवार्य होगा।

6 निविदा के एक मुहरबन्द लिफाफे में प्री क्वालिफिकेशन बीड रहेगा, जिसके साथ संवेदक अपना अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र, जी०एस०टी० निबंधन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार संख्या, चालू खाता का पासबुक की छाया प्रति (स्वअभिप्रमाणित कर), जिला पुलिस अधिक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन वैध चरित्र प्रमाण पत्र एवं अग्रधन की राशि संलग्न करना होगा तथा दूसरे मुहरबन्द लिफाफे में प्राईस बीड रहेगा, जिस पर संवेदक अपना दर अंकित करेंगे, जो दशमलव के बाद दो अंको तक हीं मान्य होगा। इस दोनो मुहरबन्द लिफाफों को एक तीसरे मुहरबन्द लिफाफे में रखकर हीं निविदा डाली जाएगी। यह तीनों लिफाफा लाह चपड़ा से सील होना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जाएगी।

7 विभाग द्वारा निर्गत पहचान पत्र या अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर हीं निविदा दस्तावेज (परिमाण विपत्र) निर्गत किया जाएगा। परिमाण विपत्र का मूल्य लौटाया नहीं जाएगा।

8 माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद बिहार संवेदक संघ बनाम बिहार सरकार एवं अन्य (C.W.J.C.No.- 9941of 2022) के मामले में दिनांक 06.07.2023 के सुनवाई के उपरान्त पारित न्यायादेश एवं पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक 447 (S)दिनांक 16.01.2020 सह पाठित ज्ञापांक 448(S)दिनांक 16.01.2020 का अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी। तदानुसार निविदित दर, serious unbalanced rate होने की स्थिति में Additional Performance guarantee, पथ निर्माण विभाग पटना के पत्रांक 448(S) दिनांक 16.01.2020 के अनुसार जमा करना होगा।

9 वित्तीय बीड में सभी सफल निविदाकारों का दर एक समान होने की स्थिति में बिहार सरकार लोक निर्माण संहिता में निहित प्रावधान के अनुसार कार्य का आवंटन लौटरी प्रक्रिया से किया जाएगा।

10 निविदा के पुर्व निविददाता कार्यस्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट होकर हीं निविदा डालेंगे अन्यथा कार्य के दौरान या इसके बाद उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

11 बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 13589 (S), पटना, दिनांक 13.12.2011 की कण्डिका (4) के उप कण्डिका (च) में निहित प्रावधान के अनुसार रूपये 25.00 (पच्चीस) लाख तक के कार्यों के निविदा में श्रेणी – 4 (चार) में निबन्धित संवेदक हीं भाग ले सकेंगे।

12 कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्रियों के ढुलाई (Carriage) के सत्यापन हेतु संवेदक द्वारा E-CHALLAN समर्पित करने के उपरान्त हीं उनको इस मद का भुगतान किया जाएगा।

13 निर्माण कार्य में भुगतान के पुर्व गुण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय में समर्पित करना होगा।

14 सरकार के परिपत्र एवं आदेश के आलोक में संवेदक के विपत्र से नियमानुसार आयकर, 05(पाँच) प्रतिशत जमानत, 02 (दो) प्रतिशत G.S.T. एवं 01 (एक) प्रतिशत LABOUR CESS की राशि की कटौति किया जाएगा।

15 जिस संवेदक के विरूद्ध कालीकृत की कार्रवाई या अपराधिक मामला चल रहा हो उन्हें कार्य आवंटन से वंचित रखा जाएगा। कार्य करने के दौरान भी उक्त बात की जानकारी प्राप्त होने पर उनकी निविदा रद्द कर उनकी जमानत की राषि जब्त कर ली जाएगी तथा विभाग को संसूचित कर दिया जाएगा।

16 सशर्त्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

17 निविदाकारों द्वारा निविदा कागजातों के साथ संलग्न कियेजाने वाले कागजातों की सत्यता के सम्बन्ध में एक अद्यतन घोषणा एक सौ रूपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा जिसका प्रारूप निम्नवत है –

"I, the undersigned, do hereby certify that all the statement made in the required attachments are true and correct and if found false/ forged undersigned will be liable for infiction upon the FIR and lawful punishment as well as blacklisting."

18 सफल निविदाकार को प्रपत्र F2 (कण्डिका 23 विलोपित) पर एकरारनामा करना होगा।

19 सफल निविदाकार को एकरारनामा के पुर्व एकरारित राशि का 05 (पाँच) प्रतिशत (निविदा के साथ संलग्न 02 प्रतिशत अग्रधन की राशि सहित) जमानत के रूप में अग्रधन, विभाग द्वारा निबंधन पत्र में अंकित नाम से निर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवाँ निर्गम), डाकघर सावधि जमा 1/2/3 वर्षीय पासबुक/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत सावधि जमा पासबुक जो न्यूनतम 6 माह के लिए मान्य हो एवं कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, बेनीपट्टी के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित हो, जमा करना होगा।

20 संवेदक को सभी कार्य निविदा दस्तावेज में वर्णित शर्तो, स्वीकृत नक्शा एवं प्राक्कलन तथा विशिष्टि एवं गुणवत्ता एवं रूपांकित सेक्शन में करना होगा। साथ हीं जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत निविदा सम्बन्धित सभी अनुदेशों एवं शर्तो का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

21 विशेष जानकारी के लिए कार्य अवधि में अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

08/2/2024

कार्यपालक अभियन्ता

पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, बेनीपट्टी